रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2012/भाद्र 20, 1934
No. 193] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2012/BHADRA 20, 1934

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2012

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) पांचवां संशोधन विनियम, 2012

सं. भारारा्प्रा/11011/17/2012-एच.आर. I (खण्ड V).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-** (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) पांचवा संशोधन विनियम, 2012 कहलाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) में, विनियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"**21क. आचरण एवं अनुशासन:-** आचरण एवं अनुशासन के मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवाएं

(आचरण) नियमावली, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965, के प्रावधान लागू होंगे ।

परन्तु शर्त यह है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 द्वारा शासित मामलों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षा प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

क्र. सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रेड	केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार लघु शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	पुनरीक्षा प्राधिकारी
(i)	मुख्य महाप्रबंधक और समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	अध्यक्ष	प्राधिकरण	-शून्य-
(ii)	महाप्रबंधक और समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष	प्राधिकरण
(iii)	मुख्यालय में उप महाप्रबंधक, प्रबंधक और उप प्रबंधक तथा समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक जिसके अधीन अधिकारी कार्यरत हो	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष
(iv)	फील्ड कार्यालयों में उप महाप्रबंधक, प्रबंधक और उप प्रबंधक तथा समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी (जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक की तैनाती न की गई हो, वहाँ उस राज्य का काम देख रहा मुख्यालय का मुख्य महाप्रबंधक)	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष
(v)	मुख्यालय में सभी समूह-ख पद	महाप्रबंधक (प्रशासन)	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा. एवं मा.सं.)	सदस्य (प्रशासन)

(vi)	फील्ड कार्यालयों में सभी समूह-ख पद	मुख्य महाप्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी (जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) में मुख्य महाप्रबंधक की तैनाती न की गई हो, वहाँ उस राज्य का काम देख रहा मुख्यालय का मुख्य महाप्रबंधक)	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष
(vii)	मुख्यालय में सभी समूह-ग एवं घ पद	उप महाप्रबंधक (प्रशासन)	महाप्रबंधक (प्रशासन)	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा. एवं मा.सं.)
(viii)	फील्ड कार्यालयों में सभी समूह-ग एवं घ पद	क्षेत्रीय कार्यालय का उप महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी (जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) में मुख्य महाप्रबंधक की तैनाती न की गई हो, वहाँ उस राज्य का काम देख रहा मुख्यालय का मुख्य महाप्रबंधक)	सदस्य (प्रशासन)

परन्तु शर्त यह है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में निर्दिष्ट भारी शास्तियां इन विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (ग) में वर्णित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लगाई जाएंगी ।

राजीव यादव, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर-I (खण्ड VI), तारीख 27 अगस्त, 2012, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड 4, तारीख 28 अगस्त, 2012 में प्रकाशित किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2012

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Fifth Amendment Regulations, 2012

No. NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.V).—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely :—

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Fifth Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), after regulation 21, the following regulation shall be inserted, namely:-

"21A. **Conduct and Discipline**:- The provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, shall be applicable to the officers and employees of the Authority in the matter of conduct and discipline.

Provided that in case of matters governed by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the disciplinary authority, the appellate authority and reviewing authority shall be as follows:-

Sl. No.	Grade of Officers/ Employees	Disciplinary Authority competent to impose minor penalties provided in Rule 11 of the CCS (CCA) Rules, 1965	Appellate Authority	Reviewing Authority
(i)	Chief General Managers & those in equivalent Grade Pay	Chairman	Authority	- NIL -
(ii)	General Manager & those in equivalent Grade Pay	Member (Admn.)	Chairman	Authority
(iii)	Deputy General Manager, Manager and Deputy Manager & those in equivalent Grade Pay at HQ	Chief General Manager under whom the officer is working	Member (Admn.)	Chairman

(iv)	Deputy General Manager, Manager and Deputy Manager & those in equivalent Grade Pay at Field Offices	Chief General Manager/RO (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)	Chairman
(v)	All Group-B posts at HQ	General Manager (Admn.)	Chief General Manager (Admn. & HR)	Member (Admn.)
(vi)	All Group-B posts at Field Offices	Chief General Manager/RO (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)	Chairman
(vii)	All Group-C and D posts at HQ	Deputy General Manager (Admn.)	General Manager (Admn.)	Chief General Manager (Admn. & HR)
(viii)	All Group-C and D posts at Field Offices	Deputy General Manager of RO	Chief General Manager/RO (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)"

Provided that the major penalties specified in Rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall be imposed by the Appointing Authority defined in clause (c) of Regulation 3 of these Regulations.

RAJIV YADAV, Member (Administration)
[ADVT. III/4/122/12/Exty.]

Foot note : The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.VI), dated 27th August, 2012 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 28th August, 2012.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

34379 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.